झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–55/11 /रांची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

द्वारा :– आन्तरिक वितीय सलाहकार

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
पोस्ट–हिनु, रांची।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित विभिन्न मदों में उपबंधित कुल रू0 2,00,00,000/– (रू0 दो करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढ़ीकरण के लिए संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 2,00,00,000/– (रू0 दो करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है :–

क्र0	इकाई का नाम	OSP	TSP	Total
1	मजदूरी	15,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000103)		15,00,000.00
2	संविदा भता	3,60,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000108)		3,60,000.00
3	कार्यालय व्यय	14,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000315)	6,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796A6000315)	20,00,000.00
4	कार्यालय उपकरण	20,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000317)	10,80,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796A6000317)	30,80,000.00
5	आपूर्ति एवं सामग्री	25,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000323)	20,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796A6000323)	45,00,000.00
6	व्यावसायिक सेवाएँ	57,60,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000329)		57,60,000.00
7	पुस्तकालय	1,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000332)	1,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796A6000332)	2,00,000.00
8	मोटरवाहन	16,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000441)	10,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796A6000441)	26,00,000.00
	कुल	**1,52,20,000.00**	**47,80,000.00**	**2,00,00,000.00**
कुल 2,00,00,000/–(रू0 दो करोड़) मात्र				

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–A6–निदेशालय का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि रू0 1,52,20,000/– (रू0 एक करोड़ बावन लाख बीस हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–A6–निदेशालय का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में

4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 1287 है।
7. स्वीकृत्यादेश में निहित राशि का आवंटन आदेश आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ही राशि निकासी एवं व्ययन योग्य होगी।
8. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
12. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची से की जायेगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
16. वित विभाग के संकल्प संख्या–2741 दिनांक– 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/ –
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–55/11 /रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–55/11/02/योजना /रांची, दिनांक– 17.04.2025

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वितीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/नोड़ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/IV/25